न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 4/2001

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. मदाराम के कायम मुकामान 1/1 नोजी पत्नी मदाराम 1/2 रामनाथ पुत्र मदाराम 1/3 नारायण पुत्र मदाराम 1/4 पन्नीदेवी पुत्री मदाराम पत्नी केसराराम 1/5 संतोष पुत्री मदाराम पत्नी सुरजाराम 1/6 धापू पुत्री मदाराम पत्नी धन्नाराम 1/7 भंवरी पुत्री मदाराम पत्नी कालूराम 1/8 प्रभु पुत्री मदाराम पत्नी जगदीश कौम भांबी निवासीगण उटवालिया तहसील व जिला नागौर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर। 2. लेखराम के कायम मुकामान 2/1 कुशालराम पुत्र लेखराम 2/2 लूणाराम पुत्र लेखराम 2/3 तुलछा पुत्री लेखराम पत्नी जीवनराम 2/4 नथाराम पुत्र लेखराम के कायम मुकाम 2/4/1 रूकमा पत्नी नथाराम 2/4/2 अर्जुनराम पुत्र नथाराम 2/5 तुलछी पुत्री नथाराम 3 भानीराम पुत्र भेराराम 4 स्व. श्रीराम पुत्र भेराराम के कायम मुकामान 4/1 केशर पत्नी श्रीराम 4/2 खंगाराम पुत्र श्रीराम 4/3 केहराराम पुत्र श्रीराम 4/4 मेहराम पुत्र श्रीराम 4/5 धर्माराम पुत्र श्रीराम 4/6 पाना पुत्री श्रीराम 4/7 गीता पुत्री श्रीराम 4/8 द्रोपदी पुत्री श्रीराम 5 टीकूराम पुत्र भेराराम कौम मेघवंशी निवासीगण उटवालिया तहसील व जिला नागौर।

वाद इस्तकार हक खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती रेकर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :- 16/1/18

1. वादी श्री मदाराम की मृत्यु हो जाने पर उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया। वादी की ओर से यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम उटवालिया तहसील नागौर के साबिक खसरा नम्बर 203 बीघा 4 बिस्वा था जिसके हाल खसरा नम्बर 793, 792, 791, 790, 789 व 788 बने है जिसमे से खसरा नम्बर 793 का रकबा नक्शा शीट व मौके के अनुसार 32 बीघा

सहायक कलेक्टर
(SDO) नागौर

Scanned by CamScanner

10 बिस्वा है। और इसी अनुसार रकबे पर वादी का कब्जा काश्त शुरू से लेकर है लेकिन बन्दोबस्त अधिकारियो ने इस खसरा नम्बर 793 का रकबा मौके व नक्शा के अनुसार 32 बीघा 10 बिस्वा दर्ज नही कर गलत तौर पर 20 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कर दिया है। इस प्रकार बन्दोबस्त अधिकारियो व कर्मचारियो ने बिना किसी अधिकार के वादी के खेत का रकबा 12 बीघा कम दर्ज कर दिया। अतः कम दर्ज रकबा को शुद्ध करवाये जाने हेतु यह वाद पेश कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया है।

2. प्रतिवादी संख्या 2 से 5 इस प्रकरण में अपने आप को आवश्यक पक्षकार होना बताते हुए पक्षकार संयोजन किये जाने हेतु एक आवेदन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में पेश किया जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा इन्हे दिनांक 30.04.2002 से स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को पक्षकार के रूप में सयोजित किया गया।
3. प्रतिवादी संख्या 2 श्री लेखराम व प्रतिवादी संख्या 4 श्रीराम की मृत्यु हो जाने पर इनके कायम मुकाम को इनके स्थान पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया।
4. प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने वादी के वाद पत्र का पैरावार प्रत्युतर पेश कर बताया कि वादी का खेत खसरा नम्बर 793 का रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा ही है जो वादी ने भीकाराम पुत्र सदाराम कौम मेघवाल साकिन उटवालिया से क्रय किया था। जिसकी रजिस्ट्री कराई थी। वादी का खसरा नम्बर 793 का रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा गलत है मौके पर यह खेत 20 बीघा 4 बिस्वा ही है। वादी ने संवत 2054 तदनुसार इस्वी सन 1997 के जेष्ठ महिने में हम प्रतिवादीगण की 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जिसको वादी ने खाली नही करने पर हमारे द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर के यहां राजस्व वाद संख्या 136/2000 लेखराम बनाम मदाराम पेश कर रखा है। इस प्रकार वादी ने हमारे द्वारा पेश किये गये धारा 183 आरटी एक्ट के वाद को प्रभावित करने के लिए यह दावा पेश किया है जो झूठा होने से खारिज योग्य है।
5. वादी के वाद कथन एवं प्रतिवादी के जवाब कथन के अनुसार प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात कायम की गई।
   1. आया वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 793 साविका खसरा नम्बर 199 रकबा 203 बीघा वाके ग्राम उटवालिया का भाग है? जिम्मे वादीगण
   2. आया खेत खसरा नम्बर 793 रकबा 20 बीघा 20 बिस्वा के बजाय 32 बीघा 10 बिस्वा है? जिम्मे वादीगण
   3. आया प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 792 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम उटवालिया खेत खसरा नम्बर 793 के चिपता है? जिम्मे वादीगण
   4. आया वादीगण ने संवत 2020 में सन 1964 बंदोबस्त समाप्त होने के बाद खेत खसरा नम्बर 793 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी पूर्व खातेदार भीकला पुत्र सदा कौम मेघवाल से दिनांक 07.11.1970 को खरीद कर रजिस्ट्री करवई थी? जिम्मे वादीगण
   5. आया वादीगण ने प्रतिवादीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 793 की 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है? जिम्मे प्रतिवादीगण
   6. आया वाद संख्या 136/2000 लेखराम वगैरा बनाम मदाराम के कामय मुकाम नोजी वगैरा के साथ संलग्न कर निर्णय किया जाना चाहिये? जिम्मे प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

Scanned by CamScanner

आया वादीगण वाद माफिक खातेदारी का रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा के बजाय 32 बीघा 10 बिस्वा करवाने के अधिकारी है? जिम्मे वादीगण

7. आया वादीगण ने संवत 2054 सन 1997 में प्रतिवादीगण ने खेत खसरा नम्बर 792 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा की 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किया है? जिम्मे प्रतिवादी
8. अनुतोष?

6. वादी के कायम मुकाम नारायणराम ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान PW-1 से दर्ज करवाते हुए बताया कि उसने खेत भीकाराम से खरीदा था। जो नक्शा व मौका देख कर खरीदा था। वर्तमान मे उसका कब्जा काश्त उसी अनुसार है उसके खेत के चारो ओर पुरानी सीवे माठे जिस दिन खेत खरीदा उसी दिन के अनुसार वर्तमान मे भी मौके अनुसार खेत 30 बीघा 10 बिस्वा है जबकि रेकर्ड में गलत तौर पर 20 बीघा 10 बिस्वा अंकित कर दिया है अपने कथनो के समर्थन में मौजा उंटवालिया की जमाबंदी सवत 2060–65 प्रदर्श 1 नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी प्रदर्श 2 खेत खसरा नम्बर 793 के साबिक खसरा नम्बर 199 की नकल जमाबंदी संवत 2013 प्रदर्श 3, संवत 2056–59 की खतौनी प्रदर्श 4 खसरा भू प्रबंध, प्रदर्श 5 हाल व साबिका बंदोबस्त का नक्शा क्रमशः प्रदर्श 6 व 7 तहसीलदार नागौर को की गई रजिस्ट्री एडी रशीद प्रदर्श 8, 9 व 10 है। भीकाराम से खेत खरीदने पर हुआ म्यूटेशन प्रदर्श 11 है। नाप रेकर्ड प्रदर्श 12 है को पेश कर प्रदर्शित करवाया है। इसके अतिरिक्त गवाह अखाराम पुत्र केशाराम जाट PW-2 के बयान करवाये। गवाह अखाराम ने बताया कि मैं वादग्रस्त खेत को जानता हू यह खेत मौके पर 32–33 बीघा है खेत के चारो ओर खीपो की माठ है और सीव पर धोरे पालिया है। यह गवाह आगे बताता है कि इस खेत की माठे शुरू से लेकर आज दिन तक यथावत है। वादी ने किसी के खेत नही दबाया है।

7. प्रतिवादी भानीराम DW-1 ने अपने बयान कलमबद्ध करवाते हुए बताया कि वादी का खेत 20 बीघा 10 बिस्वा ही है उसने यह खेत भीकाराम से लिया है अपने बयानो के समर्थन में नकल रजिस्ट्री प्रदर्श D1 प्रतिवादीगण द्वारा 183 आरटीए के तहत किया गया दावा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श D2 भीकाराम व मदाराम के खेतो की खतौनी संवत 2020–23 व 2028–31 प्रदर्श D3 को पेश कर प्रदर्शित कराई। इसके अतिरिक्त अपने पक्ष में गवाह DW-2 उगमसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत के बयान करवाये गये। इस गवाह ने अपने बयानो में बताया कि वादी व प्रतिवादी के परिवार को वह जानता है इनके खेत आपस में चिपते हुए है वादी मदाराम ने यह खेत भीकाराम से 20 बीघा मौल लिया था। प्रतिवादी लेखाराम का खेत 23 बीघा 10 बिस्वा है वादी ने प्रतिवादी की जमीन को दबाया था। तब पंचायती हुई थी और उस पंचायती में यह बात सामने आई थी कि वादी लेखाराम ने प्रतिवादी की माठ तोड़ दी थी जिस पर वादी ने पंचायती में कहा था कि रात को अनजाने मे ट्रेक्टर निकाल दिया है।

8. हमने प्रकरण में विद्धवान वकील उभयपक्षकारान को बहस पर सुना गया। विद्धवान वकील प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस के कथन भी पेश किये जो शामिल पत्रावली है। विद्धवान वकील प्रतिवादी निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1- DNJ (RAJ) 2016(2) Page 473-75
2- DNJ (RAJ) 2015(2) Page 540-552
3- RRD 2011 Page 508-529
4- Laws & Flaws

सहायक कलेक्टर
(SDO) नागौर

Scanned by CamScanner

5- Sec 35A C.P.C.
6. DNJ 2016 (RAJ) Page 1354-1358

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धवान वकील प्रतिवादी की लिखित बहस कथन एवं उभय पक्षकारान की मौखिक बहस के पश्चात प्रकरण में तनकीवाद हमारा विनिश्चय निम्नानुसार है :–

1. तनकी संख्या 1 :– पत्रावली पर मौजूद खसरा बंदोबस्त संवत 2015 प्रदर्श 5 व नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श 3 के अनुसार मौजा उटवालिया का हाल खसरा नम्बर 793 साबिक खसरा नम्बर 199 से बना है। साबिक खसरा नम्बर 199 के खातेदार श्री नारायणसिंह पुत्र श्री रेंवतसिंह थे और यह भूमि उनकी खुदकाश्त की भूमि थी विधि अनुसार खुदकाश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार बाई ऑपरेशन ऑफ ला नही मिलते। ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार वास्तविक मालिक व क्रेता की सहमति से ही प्रौढ बुद्ध होते है सम्प्रति साबिक खसरा नम्बर 199 के खातेदार जो जागीदार थे ने अपनी भूमि मे से इस वाद में प्रश्नगत भूमि को किसी अन्य तरीके से वादी के अन्तरीती भीकाराम को दे दी थी और भीकाराम ने यह वाद के समीप जरिये बेचान पत्र प्रदर्श D1 के जरिये वादी स्व. मदाराम को बेचान कर दी है। बेचाननामा उप पंजीयक कार्यालय नागौर मे पंजीकृत है जिसमें वादी ने अन्तरीती भीकाराम से इस खसरा नम्बर की 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही खरीदी है। इस प्रकार प्रदर्श 3 व 5 के अनुसार वादी यह तनकियात साबित करने में सफल रहा है कि साबिक खसरा नम्बर 193 से ही हाल खसरा नम्बर 793 बना है।
2. तनकी संख्या 2 :– पत्रावली के संलग्न प्रदर्श 11 नकल नामान्तर संख्या 156 जिसके द्वारा राजस्व रेकर्ड में भीकला वल्द सदा द्वारा अपनी भूमि का बेचान कर देने पर जरिये पंजीकृत बेचान पत्र से नामान्तरकरण क्रेता वादी स्व. मदाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड मे अंकन हुआ है। नकल पंजीकृत बेचान पत्र प्रदर्श D1 के अनुसार वादी स्व. मदाराम ने 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही अपने विक्रेता भीकाराम से क्रय की थी। इस प्रकार वादी स्व. मदाराम व उसके कायम मुकाम खसरा नम्बर 793 का रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा से अधिक के कोई हकदार नही है। अतः प्रदर्श 11 व प्रदर्श D1 की बिनाय पर यह तनकी वादीगण के पक्ष में साबित नही होने से तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।
3. तनकी संख्या 3 :– पत्रावली के संलग्न नक्शा प्रदर्श 7 के अनुसार खसरा नम्बर 793 व 792 आपस मे चिपते हुए है। गवाह DW2 व PW2 के बयानो अनुसार भी उक्त दोनो खेत आपस में चिपते हुए है। अतः प्रदर्श 7 व इन गवाहो के बयानो के आधार पर तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्षकार में प्रमाणित पाई जाती है।
4. तनकी संख्या 4 :– पत्रावली के संलग्न पंजीकृत बेचान दिनांक 10.11.1970 प्रदर्श D1 के अनुसार वादी स्व. मदाराम ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 793 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा खरीदी थी। प्रतिवादी के गवाह PW2 ने भी अपने बयानो में बताया कि यह भूमि वादी स्व. मदाराम ने भीकाराम से खरीदी है। अतः इन साक्ष्य भार के बिनाय पर यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रमाणित पाई जाती है।

Scanned by CamScanner

मदाराम बनाम सरकार
राजस्व वाद संख्या 4/2001

5. तनकी संख्या 5, 6 व 8 :– इन तनकियात के बिन्दु राजस्व वाद संख्या 136/2000 लेखराम बनाम मदाराम से संबंधित है और इनका विनिश्चय उक्त वाद 136/2000 में किया जा रहा है। अतः इन तनकियात पर विनिश्चय राजस्व वाद संख्या 136/2000 में न्यायालय हाजा मे अभिमत अनुसार रहेगा।

6. तनकी संख्या 7 :– पत्रावली के संलग्न नकल नामान्तरकरण प्रदर्श 11 एवं नकल रजिस्ट्री प्रदर्श D1 के अनुसार वादी स्व. मदाराम ने वादग्रस्त खसरा नम्बर 793 मौजा उटवालिया की 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही क्रय की थी। वादी स्व. मदाराम ने 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि का ही प्रतिफल चुकाया है। अतः इन दस्तावेजी साक्ष्यो की बिनाय पर वादी स्व. मदाराम व उसके कायम मुकाम वादग्रस्त खसरा नम्बर 793 की मात्र 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि के ही हकदार है। इस खसरा नम्बर के रकबा दुरूस्ती कराने या अन्य तरीके से रकबा बढाने की लोकश स्टेण्डाई वादी व उसके कायम मुकाम को नही है। इस तनकी को वादीगण साबित करने में सफल नही रहे है। परिणामतः तनकी संख्या 7 वादी के विरूद्ध प्रमाणित पाई जाती है।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) नागौर

निर्णय

उपर्युक्तानुसार किये गये तनकीवार विवेचन के मध्यनजर वादीगण का यह वाद बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना– अपना खर्चा वहन करे। निर्णय आज दिनांक 16/1/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैलस शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) नागौर

Scanned by CamScanner